भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3161

जिसका उत्तर गुरुवार, 19 मार्च, 2026 को दिया जाना है

न्याय प्रदायगी को सुदृढ़ बनाना

3161 डा. अजीत माधवराव गोपछड़े :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने समय पर न्याय प्रदायगी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से बेलीज और आयरलैंड के कानूनों का अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई की है और क्या इन क्षेत्राधिकारों से संबंधित कानूनी अंतर्दृष्टियों या इष्टतम परिपाटियों की जांच उन्हें अपनाने के उद्देश्य से की गई है ;

(ख) क्या सरकार को देश में समय पर न्याय की गारंटी देने पर विशेष रूप से केंद्रित कोई अभ्यावेदन या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए उठाए गए या प्रस्तावित ठोस कदम क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : सरकार को समय-समय पर विभिन्न हितधारकों से न्याय समय पर सुनिश्चित करने और न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार के उपायों के संबंध में अभ्यावेदन और सुझाव प्राप्त होते रहते हैं । अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने से संबंधित प्रस्तावों सहित ऐसे सुझावों की जांच संबंधित हितधारकों के परामर्श से की जाती है ।

विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर व्यापक विचार-विमर्श और विचार के बाद, तीन विधेयक अर्थात भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए, जिन्हें माननीय

राष्ट्रपति द्वारा सम्मति प्रदान की गई और तारीख 25 दिसंबर, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। ये नई आपराधिक विधियां तारीख 1 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हो गए हैं । न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नई आपराधिक विधियों में किए गए उपबंधों का विवरण इस प्रकार है :

(1) त्वरित और निष्पक्ष समाधान: नई विधियां मामलों के त्वरित और निष्पक्ष समाधान का वचन देती हैं, जिससे विधि व्यवस्था में विश्वास पैदा होता है । अन्वेषण और विचारण के महत्वपूर्ण प्रक्रमों जैसे प्रारंभिक जांच, आगे और अन्वेषण, पीड़ित और अभियुक्त को दस्तावेजों की आपूर्ति, विचारण के लिए मामला सुपुर्द करना, उन्मोचन के लिए आवेदन फाइल करना, आरोप विरचित करना और निर्णय सुनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है ।

(2) त्वरित अन्वेषण : नई विधियां महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराधों के अन्वेषणों को प्राथमिकता देती हैं, जिससे समय पर अन्वेषण पूरा होना सुनिश्चित होता है ।

(3) स्थगन : मामले की सुनवाई में अनावश्यक विलंब से बचने के लिए इसे सुव्यवस्थित किया गया है, जिससे समय पर न्याय वितरण सुनिश्चित हो सके ।

(4) न्यायिक प्रक्रिया की गति, दक्षता और पारदर्शिता में महत्वपूर्ण सुधार के लिए ई-समन, ई-साक्ष्य और न्याय-श्रुति (वीसी) जैसे एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं ।

(ग) : सरकार ने न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने और न्यायालयों में विलंब को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं । इनमें न्यायालयों के डिजिटलीकरण और तकनीकी सशक्तिकरण के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना, बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए त्वरिचत न्यायालय विशेष न्यायालयों की स्थापना और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरने के लिए राज्यों और उच्च न्यायालयों को प्रोत्साहित करना सम्मिलित है ।

इसके अलावा, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन संस्थित-पूर्व मध्यस्थता, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालतों का आयोजन, विधिक सहायता प्रतिरक्षा काउंसेल प्रणाली के माध्यम से विधिक सहायता को मजबूत करना, और ई-फाइलिंग, वीडियो कांफ्रेंसिंग और ऑनलाइन मामला सूचना प्रणाली सहित डिजिटल सेवाओं के विस्तार जैसी पहल भी न्याय तक पहुंच बढ़ाने और मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा रही हैं ।

****